# नारी शिक्षा : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
# (Women Education : Historical Perspective)

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में नारी शिक्षा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

## प्राचीनकाल में नारी शिक्षा (Women Education in Ancient-Period)

प्राचीन भारत में वैदिक काल तथा बौद्ध काल में नारी शिक्षा की स्थिति उन्नत स्तर की थी। वैदिक काल में नारियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार प्राप्त थे। आरम्भिक अवस्था में नारियों के लिए पुरुषों के साथ ही संस्थाओं में सह-शिक्षा की व्यवस्था थी। तत्कालीन परिस्थितियों में नारी शिक्षा का दायित्व परिवार पर होता था। उस काल में नारी शिक्षा की सुसंगठित व्यवस्था के अभाव में भी गार्गी, मैत्रेयी, लोपमुद्रा, अपाला व घोषा आदि नारियों ने विद्वता के चरम स्तर को प्राप्त किया। इसका एक मुख्य कारण समाज व राज्य का समानता का दृष्टिकोण अपनाना था जिसमें नर-नारी को समान स्थान प्राप्त था। हालाँकि उत्तर वैदिक काल में नारी शिक्षा की स्थिति में ह्रास हुआ तथापि नारी शिक्षा का औसत स्तर सामान्य बना रहा। बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में नारी शिक्षा की आरम्भिक स्थिति असंतोषजनक रही; परन्तु बाद में मठों व विहारों में प्रवेश की अनुमति मिलने के उपरान्त नारी शिक्षा में अभूतपूर्व प्रगति हुई। शील भट्टारिका, विजयांका, प्रभुदेवी, रानी नयनिका, रानी प्रभावती गुप्त व सम्राट अशोक की बहन संघमित्रा आदि विदुषी नारियों ने नारी शिक्षा को नई ऊँचाईयों तक पहुँचाया।

## मुस्लिम काल में नारी शिक्षा (Women Education in Muslim Period)

नारी शिक्षा के संदर्भ में मुस्लिम काल उपेक्षित रहा। इस काल में प्रचलित अनेक सामाजिक कु-प्रथाओं (पर्दा प्रथा, सती प्रथा व बाल विवाह आदि) ने नारी शिक्षा के प्रगति पथ को सामान्यतः अवरुद्ध कर दिया। ऐतिहासिक अवलोकन से प्रतीत होता है कि बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की ही न्यूनतम अवस्था थी, जिसमें धार्मिक शिक्षा की प्रधानता थी। हिन्दू परिवारों की बालिकाएँ शिक्षा हेतु परिवार तक सीमित थीं। सहनतापूर्वक विश्लेषण करें, तो इस काल में नारी शिक्षा की स्थिति शोचनीय थी। साथ ही दूसरे पक्ष पर विचार करें, तो मुस्लिम काल में भी रजिया सुल्तान, नूरजहाँ, चाँदबीबी, गुलबदन, जेबुनिसा, रानी रूपमती, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई व माता जीजाबाई आदि नारियों ने नारी शिक्षा को संबल प्रदान किया।

## ब्रिटिश काल में नारी शिक्षा (Women Education in British Period)

ब्रिटिश काल की आरम्भिक अवस्था में नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। उस समय भी भारतीय समाज अनेक कुरीतियों से आबद्ध था। नारी शिक्षा के लिए आंशिक प्रयास मिशनरियों व कुछ सामाजिक संस्थाओं द्वारा किये गए। अनेक बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्त्ताओं; जैसे—राजा राममोहन राय, गोखले आदि के प्रयासों से कुछ बालिका विद्यालयों की स्थापना अवश्य सम्भव हो पायी।

आधिकारिक तौर पर सर्वप्रथम वुड डिस्पेच (1854) ने नारी शिक्षा के प्रसार हेतु अनेक सिफारिशें दीं, जिसके फलस्वरूप बालिकाओं के लिए अनेक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई।

Scanned by TapScanner

आर्य समाज व ब्रह्म समाज द्वारा भी नारी शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा आन्दोलन के परिणामस्वरूप भी बालिका शिक्षा की स्थिति में सुधार हुआ। स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविन्द घोष, ऐनी बेसेन्ट, मदन मोहन मालवीय आदि विद्वानों ने नारी शिक्षा की महत्ता को समाज में प्रतिष्ठित किया। 1904 में बनारस में सेन्ट्रल हिन्दू बालिका विद्यालय की स्थापना की गई तथा 1916 में दिल्ली में भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज लेडी हार्डिग के नाम पर खोला गया। इसी वर्ष महर्षि कर्वे ने पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1921 का शारदा एक्ट व 1926 में गठित 'अखिल भारतीय महिला समिति' के प्रयासों से नारी शिक्षा को बढ़ावा मिला। संक्षेप में कहें, तो ब्रिटिश काल से लेकर स्वतंत्रता पूर्व तक नारी शिक्षा की प्रगति क्रमबद्ध रूप में धीमी गति से अविरल चलती रही।

## स्वतंत्रता उपरान्त नारी शिक्षा की प्रगति (Progress of Women Education After Independence)

किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार शिक्षा है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावशाली यन्त्र है। आधुनिक वैश्विक समाज में स्त्री-पुरुष दोनों की शिक्षा का बड़ा महत्त्व है और हमारे भारतीय समाज में तो नारी शिक्षा का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। संस्कृति के संरक्षण व विकास के लिए तथा मानवाधिकार रक्षा हेतु भी नारी शिक्षा की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। स्वतंत्रता से पूर्व नारी शिक्षा की संकल्पना अनेक सोपानों से गुजरते हुए विकास की वर्तमन स्थिति में जा पहुँची है।

देश की आजादी के पश्चात् भारतवर्ष में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। नारी शिक्षा के संदर्भ में विचारें, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा महिलाओं को उच्च शिक्षा के स्तर पर सह-शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग** के कथनानुसार—*"शिक्षित महिलाओं के अभाव में मनुष्यों को भी शिक्षित नहीं किया जा सकता।"* इसी क्रम में **आचार्य नरेन्द्र देव समिति-द्वितीय** (1952-53) ने महिला शिक्षा के बारे में लिखा कि, *"कुछ आवश्यकताएँ तो स्त्री-पुरुषों की समान होती हैं अतः उनकी शिक्षा दोनों को समान रूप से दी जाए, कुछ आवश्यकताएँ भिन्न होती हैं, तो उनकी शिक्षा की व्यवस्था अलग-अलग की जाए।"*

**माध्यमिक शिक्षा आयोग** ने भी नरेन्द्र देव समिति का समर्थन करते हुए बालिकाओं को शिक्षा के समान अधिकार व गृह विज्ञान वर्ग की विशेष व्यवस्था का अनुमोदन किया। नारी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए सन् 1958 में भारत सरकार ने **दुर्गाबाई देशमुख** की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति' का गठन किया। इस समिति ने नारी शिक्षा के स्वरूप के सम्बन्ध में अपना कोई सुझाव नहीं दिया; परन्तु उसके विस्तार के लिए अनेक उपाय बताए। इसके बाद नारी-शिक्षा के सम्बन्ध में पुनः विस्तार से सुझाव देने हेतु सन् 1962 में **हंसा मेहता समिति** का गठन किया गया। इस समिति का सबसे मुख्य सुझाव था कि स्त्री-पुरुषों की शिक्षा समान होनी चाहिए, उनमें लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद **कोठारी आयोग** (1964-66) ने स्त्री-पुरुषों के लिए भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रमों का सुझाव दिया, साथ ही आयोग ने 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या (Core Curriculum) प्रस्तावित की। इसका प्रभाव यह हुआ कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में नारी शिक्षा को भिन्न-भिन्न रूप में संगठित किया गया।

**राष्ट्रीय शिक्षा आयोग** की सम्मति में बच्चों के चरित्र निर्माण, परिवारों की उन्नति और राष्ट्रीय मानव संसाधनों के विकास के लिए नारी शिक्षा पुरुषों की शिक्षा से अधिक महत्त्वपूर्ण है। कोठारी आयोग ने कहा कि बालिकाओं के लिए 20 वर्षों के अन्दर इतने प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं कि सभी बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा सुलभ हो सके तथा माध्यमिक विद्यालयों में बालक-बालिकाओं का अनुपात 2:1 हो

Scanned by TapScanner

जाए। कोठारी आयोग की नारी शिक्षा के संदर्भ में एक महत्त्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि भारतीय संविधान में संकल्पित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिकाधिक प्रयास किए जाएँ।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986** ने नारी शिक्षा की प्रगति हेतु नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नारी शिक्षा में व्यापक परिवर्तन लाने की संकल्पना की गई है। इस नीति के अंतर्गत शिक्षा को महिलाओं के स्तर में मूलभूत परिवर्तन लाने के साधन के रूप में प्रयोग करने को कहा गया है। पाठ्यक्रम के अनिवार्य अंग के रूप में नारी शिक्षा को शामिल करने का सुझाव दिया गया तथा शिक्षा संस्थाओं को नारी विकास के कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्त्री-पुरुषों की शिक्षा में भेदभाव को समाप्त करने का प्रबल प्रयास किय गया तथा नारी शिक्षा में विज्ञान, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शैक्षिक अवसरों की समानता को स्थापित करने में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अहम् भूमिका रही है।

भारत में नारी शिक्षा का आरम्भ तो प्राचीनकाल में ही हो गया था; परन्तु इसके प्रति जागृति वर्तमान युग में शुरू हुई। स्वतंत्रता के उपरान्त भारतीय समाज में नारी शिक्षा को एक महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है एवं इस दिशा में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा प्रयास निरन्तर जारी हैं। 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का राष्ट्रीय संकल्प तो दिसम्बर 2002 में हुए 86वें संविधान संशोधन के उपरान्त भारत के प्रत्येक बालक बालिका का एक मूल अधिकार बन गया है। सर्वशिक्षा अभियान, सबके लिए शिक्षा, महिला समाख्या, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि कार्यक्रमों के माध्यम से सभी को शिक्षित करने के सरकारी प्रयास वर्तमान में जारी हैं। उपरोक्त वर्णित कार्यक्रम नारी शिक्षा तक ही सीमित न होकर सामाजिक मान्यताओं व दृष्टिकोणों में व्यापक परिवर्तन लाकर भारतवर्ष के सभी राज्यों में नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कक्षा आठ तक लड़कियों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराना, अलग शौचालय बनवाना, स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को विद्यालय की ओर वापिस लाना, अधिक आयु वाली लड़कियों को शिक्षित करना, शैक्षिक अवसरों की समानता की व्यवस्था करना व लिंग भेद की समाप्ति करना, बालिका शिक्षा हेतु सघन अभियान चलाना तथा विद्यालयों में बालिका नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना आदि अनेक ऐसे प्रयास हैं, जो नारी शिक्षा के प्रगति पथ में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं।

हमारे अधिकांश भारतीय मनीषियों ने नारी शिक्षा को उच्च कोटि का कृत्य माना है। स्वामी विवेकानन्द ने नारियों को देश के विकास का आधार माना है और कहा है कि, "किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर वहाँ की नारियों के साथ होने वाला व्यवहार है।" साथ ही उन्होंने यह भी माना है कि जिनकी माताएँ शिक्षित व नीतिपरायण हैं, उनके ही घर बड़े लोग जन्म लेते हैं। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा एक उत्तम विनियोग का कार्य करती है जो एक नारी को शिक्षित कर, एक परिवार व एक पीढ़ी को संस्कारित कर देती है। वे आगे कहते हैं कि, "हमारा हस्तक्षेप करने का अधिकार केवल शिक्षा का प्रचार कर देने तक ही सीमित है। हमें महिलाओं को ऐसी स्थिति में पहुँचा देना चाहिए जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझा सकें।" निःसंदेह नारी शिक्षा को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए। नारी शिक्षा के महत्त्व को उद्घाटित करते हुए **डॉ० राजेन्द्र प्रसाद** कहते हैं कि, *"सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत में नारी जाति ने समाज में महत्त्वपूर्ण व गरिमामय स्थान प्राप्त किया था। सीता, सावित्री, गार्गी तथा कलावती आदि नारियों की सम्प्राप्ति हमारे लिए गौरवपूर्ण है। अपार रचनात्मक शक्ति को धारण करने वाली नारी घर ही नहीं, बल्कि समाज के चतुर्मुखी विकास के लिए कार्य कर सकती है। इन दृष्टिकोणों से लड़कियों की शिक्षा (नारी शिक्षा) बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।"* अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नारी शिक्षा राष्ट्र हेतु उत्तम विनियोग है।

Scanned by TapScanner

नारी सशक्तिकरण के सम्बन्ध ने शिक्षा के महत्त्व को स्वीकारते हुए **स्वामी जी** लिखते हैं—*"हमें ध्यान देना होगा कि नारियाँ शिक्षा पाकर आदर्श माताएँ बनें और समय आते ही अपना गृहस्थ धर्म निभाएँ। ऐसी माताओं के बच्चे गुणों की दृष्टि से अच्छे बनेंगे और अपनी माता का नाम ऊँचा उठाएंगे। महान् पुरुषों का जन्म शिक्षित और पवित्र माताओं के यहाँ हुआ करता है...नारियों का सुधार पहले किया जाना चाहिए...तभी भारत देश के लिए भलाई का मार्ग खुल सकेगा।"* **—स्वामी विवेकानन्द**

जैसा कि सर्वविदित है कि शिक्षित नारी परिवार, समाज, राष्ट्र व विश्व के लिए समान रूप से उपयोगी है तथा सभी समाजों की प्रगति में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। शिक्षा की महत्ता भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वयंसिद्ध है। वर्तमान भारतीय व वैश्विक समाज में नारी सशक्तिकरण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं और ये प्रास तभी सार्थक सिद्ध हो सकते हैं, जब नारी शिक्षा हेतु सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पूर्ण मनोयोग से प्रयास किये जाएं। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) का उल्लेख समीचीन होगा—

शिक्षा महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करने में एक सशक्त माध्यम हो सकती है और इसके निम्नलिखित घटक होंगे—

- महिलाओं का आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास बढ़ाना।
- समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को मान्यता प्रदान करके महिलाओं की सकारात्मक छवि बनाना।
- समालोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करना।
- सामूहिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना और कार्यवाही करना।
- शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को जानकारी देकर विकल्प चुनने योग्य बनाना।
- विकासात्मक प्रक्रियाओं में समान सहभागिता सुनिश्चित करना।
- आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए सूचना, ज्ञान और कौशल प्रदान करना।
- समाज में महिलाओं के अधिकारों से सम्बन्धित कानूनी जानकारी और सूचना तक उनकी पहुँच बढ़ाना ताकि सभी क्षेत्रों में समान आधार पर उनकी सहभागिता बढ़ाई जा सके।

## भारतीय स्त्री-शिक्षा की समस्याएँ
## (Problems of Indian Women Education)

भारत में स्त्री-शिक्षा की सदियों से अवहेलना की गई है। ब्रिटिश-काल में लड़कों की शिक्षा की ओर ही विशेष ध्यान दिया गया तथा बालिकाओं की शिक्षा की न तो उचित व्यवस्था ही की गई और न उसके लिए उचित सुविधाएँ ही प्रदान की गईं, किन्तु फिर भी बालिकाओं की शिक्षा की माँग दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही गई है। आज भारतीय स्त्री शिक्षा के सामने प्रधानतः निम्नलिखित समस्याएँ हैं। उनको हल करके ही इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है—

**(1) आर्थिक समस्या (Economical Problem)**—सबसे बड़ी समस्या आर्थिक अभाव की है। शिक्षा प्रसार का अर्थ है बहुत से नये स्कूलों की स्थापना। स्कूलों की संख्या में वृद्धि का अर्थ है, उनके लिए धन की व्यवस्था। भारत में स्त्री शिक्षा पर जो धन खर्च किया जाता है, वह बहुत कम है। इसका एकमात्र कारण भारत की आर्थिक दुर्बलता ही है; परन्तु कुछ अंशों में इसका कारण स्त्री शिक्षा के महत्त्व की अवहेलना भी रही है। बालकों की शिक्षा को अधिक आवश्यक समझा गया है, अतः बालकों की शिक्षा पर सदैव से अधिक धन खर्च किया गया है। ब्रिटिश-काल में तो ऐसा था ही। 1935-36 ई० में तो बहुत-से प्रान्तों में स्त्री शिक्षा पर खर्च किए जाने वाले धन का प्रतिशत राज्य सरकारों ने पहले से भी कम कर दिया था। उसका अन्त वहीं नहीं हुआ। अंग्रेजों के चले जाने के पश्चात् तथा भारत के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात् आज भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। आज जबकि भारतीय प्रजातंत्र के बीच नारी का स्थान

Scanned by TapScanner

और भी अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जा रहा है, उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था, आवश्यकता तथा महत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की स्त्री-शिक्षा समिति के शब्दों में प्रत्येक दशा में रुपये का अभाव, उत्साह की कमी पाई जाती है और कोई इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि स्त्री शिक्षा लड़कों की शिक्षा के समान ही महत्त्वपूर्ण है।

**(2) स्कूलों की व्यवस्था (Arrangement of Schools)**—दूसरी समस्या वर्तमान स्कूलों की कमी तथा उनकी असंतोषपूर्ण स्थिति है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी बालिकाओं के स्कूल बहुत कम हैं और प्रायः सभी स्थानों पर बालिकाओं को बालकों के स्कूलों में जाना पड़ता है। स्कूलों की कमी के कारण माध्यमिक तथा उच्च विद्यालयों में भी बालिकाओं को बालकों के स्कूलों में शरण लेनी पड़ती है। प्राथमिक स्कूलों की स्थिति तो बहुत ही असंतोषजनक है। बालिकाओं के 30 प्रतिशत प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं, जिनमें केवल एक ही अध्यापिका रहती है। बहुत-से स्कूलों में तो पुरुष अध्यापक हैं। बहुत-से स्कूलों की अध्यापिकाओं में पूर्ण योग्यता नहीं है। साथ ही, बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय (Wastage) तथा स्थिरता (Stagnation) भी अधिक है। बालिकाएँ स्कूल में बहुत कम समय ही रह पाती हैं, क्योंकि घर के लिए उनकी अधिक आवश्यकता समझी जाती है। बालिकाओं के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की भी उचित व्यवस्था नहीं है।

**(3) पाठ्यक्रम (Curriculum)**—सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण समस्या पाठ्यक्रम की है। यह प्रश्न प्रायः उठता है कि क्या बालिकाओं और बालकों की शिक्षा एक-सी ही होनी चाहिए। वर्तमान स्त्री-शिक्षा के प्रति जनता में बड़ा असंतोष है। उनका कहना है कि प्रचलित भारतीय नारी शिक्षा की व्यवस्था उन्हें भारतीय संस्कृति और समाज व्यवस्था से हटाकर पाश्चात्य देशों की संस्कृति को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करती है। यह पुस्तक प्रधान, ज्ञान-प्रधान तथा अव्यावहारिक है और बालिकाओं में समाज की माँग के अनुकूल सामर्थ्य उत्पन्न नहीं करती। प्रायः कहा जाता है कि भारतीय नारी-शिक्षा उन्हें वास्तविक जीवन के अनुकूल नहीं बनाती। जीवन की वास्तविकता का सामना करने में वह उन्हें सहयोग नहीं देती। बालिकाओं की विशिष्ट माँगों की वह अवहेलना करती है। बालक तथा बालिकाओं की शिक्षा में विभिन्नता न होने के कारण तथा दोनों एक ही होने के कारण जो विषमता बालकों की शिक्षा के मध्य में आ गई है, वे ही स्त्री-शिक्षा के बीच भी आने लगी हैं।

**(4) अध्यापकों की माँग (Demand of Teachers)**—ट्रेंड अध्यापिकाओं का अभाव स्त्री शिक्षा के प्रसार के मार्ग में एक दूसरी समस्या है। इसके कई कारण हैं। एक तो ट्रेनिंग की सुविधाओं की कमी है। अधिकतर शिक्षित महिलाएँ ट्रेनिंग के लिए अपने शहर या स्थान से दूर नहीं जाना चाहतीं। दूसरे, जो ट्रेन्ड हो भी जाती हैं, उनमें से बहुत-सी विवाह हो जाने के उपरान्त पारिवारिक जीवन को ही अपनाती हैं और नौकरी करना पसंद नहीं करतीं। कुछ नौकरी करने को अच्छा नहीं समझतीं।

इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। सबसे पहले ट्रेनिंग की सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए। महिलाओं के लिए अलग से उनकी सामर्थ्य और विशेषताओं तथा पाठ्यक्रम के अनुकूल नये ट्रेनिंग कॉलिज खोले जाने चाहियें। जहाँ उनके लिए अलग ट्रेनिंग कॉलिज हैं भी, वहाँ भी शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है। इस धारणा को भी दूर करना चाहिए कि अध्यापन-कार्य तथा नौकरी करना निन्दनीय है। साथ ही, उनको यथा संभव उन्हीं के आस-पास के किसी विद्यालय में रखा जाए और घर से दूर न भेजा जाए तथा विवाहित अध्यापिकाओं को आवश्यक तथा विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाएं।

**(5) प्रशासकीय पहलू (Administrative Aspect)**—प्रशासन सम्बन्धी कुछ असुविधाएँ भी स्त्री-शिक्षा के मार्ग में बाधक हैं। एक तो प्रशासन में महिला-अधिकारी वर्ग बहुत कम है। फलस्वरूप, स्त्री-शिक्षा के प्रशासन का अधिकांश भार भी पुरुष अधिकारी वर्ग पर ही आ पड़ा है। इसका दुष्परिणाम

Scanned by TapScanner

यह हुआ है कि स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श नेतृत्व का अभाव रहता है। अतः भविष्य में स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में योग्य महिलाओं की अधिकारी-वर्ग के रूप में नियुक्ति की जाए।

## यूनिसेफ द्वारा उल्लिखित नारी शिक्षा की समस्याएँ (Problems of Women Education in View of UNICEF)

यूनिसेफ द्वारा उल्लिखित नारी शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं—

- सामाजिक समस्याएँ
- सांस्कृतिक समस्याएँ
- आर्थिक समस्याएँ
- मनोवैज्ञानिक समस्याएँ
- अपव्यय सम्बन्धी समस्याएँ
- अवरोधन सम्बन्धी समस्याएँ
- प्रशासनिक समस्याएँ।

## नारी शिक्षा की समस्याओं के निवारण हेतु सुझाव (Suggestions to Solve Problems Relating Women Education)

नारी शिक्षा की कतिपय समस्याओं के निराकरण हेतु कुछ मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं—

- सर्वप्रथम नारी शिक्षा के प्रति एक स्वस्थ सामाजिक दृष्टिकोण विकसित किया जाए।
- भारतीय समाज में नारी शिक्षा के प्रति जनजागृति व नवचेतना विकसित की जाए।
- विद्यालयों में बालिकाओं के अपव्यय व अवरोध की रोकथाम हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ आरम्भ की जाएं।
- शिक्षा के उच्च स्तर पर भी नामांकन वृद्धि के उपाय किये जाएं।
- बालिका शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम की विसंगतियों को यथाशीघ्र दूर किया जाए।
- शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए धरातलीय प्रयास सुनिश्चित किये जाएं।
- शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षक व शिक्षिकाओं में समानुपात हो।
- वर्तमान शिक्षा के संदर्भ में नारी शिक्षा को वैज्ञानिक, व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा का स्वरूप प्रदान किया जाए।
- सह-शिक्षा के प्रति भी भारतीय जनमानस का दृष्टिकोण परिवर्तित किया जाए।

भारतवर्ष में नारी शिक्षा को उचित दिशा देने तथा उसका विकास करने की दृष्टि से **यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट (1992) 'लड़कियों की शिक्षा को कैसे बढ़ावा दें?'** में अग्रलिखित उपायों को प्रस्तावित किया गया है—

- समुदायों के निकट बालिका विद्यालय खोले जाएं।
- शिक्षिकाओं की नियुक्ति को बढ़ावा दें।
- बालिकाओं की शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्थाएँ (छात्रवृत्ति, ट्यूशन, पाठ्यपुस्तकें, यूनिफार्म आदि) की जाएं।
- प्रासंगिक पाठ्यक्रम तैयार करें।
- समुदाय की सहभागिता बढ़ायें।
- स्थानीयकरण और विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए।
- सामाजिक गतिशीलता व सामाजिक चेतना हेतु कार्य-योजना तैयार की जाए।
- छात्राओं की आवश्यकताओं के अनुकूल पद्धतियाँ बनायी जाएं।
- बहुविधि शिक्षा पद्धति को बढ़ावा दें।

Scanned by TapScanner

## समीक्षा (Conclusion)

आदिकाल में अपने रूप में नारी शिक्षा विकसित अवस्था में विद्यमान थी तथा मुगलकाल में अवसान को प्राप्त हुई, पुनः ब्रिटिश काल में शैशवावस्था से गुजरते हुए स्वतंत्रता के उपरान्त बाल्यावस्था के रूप में प्रकट हुई। वर्तमान भारतीय शैक्षिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुए यह कहना न्यायोचित ही प्रतीत होता है कि विद्यमान परिदृश्य में नारी शिक्षा किशोरावस्था की दहलीज़ पर है जो कि संवेदनशील अवस्था है। इस अवस्था में यदि नारी शिक्षा का मार्गान्तीकरण उचित दिशा में नहीं हो पाया, तो यह पुनः विकृत हो जाएगी। अतः हमें नारी शिक्षा की वर्तमान स्थिति को यथायोग्य प्रयासों से प्रगति पथ पर आरूढ़ कराना होगा जिससे नारी शिक्षा अपनी सर्वोत्तम प्रौढ़ावस्था के रूप में विश्व समुदाय के समक्ष परिलक्षित हो सके।

वस्तुतः भारतीय स्त्री शिक्षा की प्रगति तेजी से नहीं हो पाई है, जितनी तेजी से उसकी माँग बढ़ी है। यह निर्विवाद ही है। भविष्य में हमें इस ओर तो ध्यान देना ही होगा; परन्तु इससे भी जो अधिक महत्त्वपूर्ण बात है, वह भारतीय नारी-शिक्षा के आदर्श को एक सही दिशा में ले जाने की है। आज उसने जिस दिशा को अपनाया है, वह वही है जो पाश्चात्य देशों की है। यह खेद का ही विषय है कि जब पाश्चात्य देश स्वयं उस रास्ते पर चलकर असंतोष प्रकट कर रहे हैं, भारतवर्ष उस रास्ते को बिना सोचे समझे अपनाता जा रहा है। हमारे नेताओं ने इस बात पर बल दिया है कि भारतीय नारी-शिक्षा का आदर्श स्त्री-पुरुष के कार्य-क्षेत्र की समानता नहीं है, तो भी व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्त्रियों के लिए ऊँची-ऊँची नौकरियाँ; जैसे—पुलिस सर्विस आदि सभी का मार्ग खुल गया है। किसी भी आधार पर उनको इस अधिकार से वंचित तो नहीं किया जा सकता; किन्तु इसकी प्रतिक्रिया नकारात्मक होगी, इसमें संदेह नहीं है। स्त्री-पुरुष की समानता का यह व्यावहारिक रूप उन्हें संसार-पथ पर एक दूसरे का पूरक, एक-दूसरे के सहयोगी के रूप में नहीं, वरन् प्रतिद्वंद्वी के रूप में लाकर खड़ा कर देगा।

Scanned by TapScanner